उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

“थाना समाधान दिवस” के अवसर पर आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना गया एवं उनके निराकरण हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक- 13.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद महोबा के थाना चरखारी में पहुँचकर क्षेत्र से आये फरियादियों की समस्याओं की जनसुनवाई थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह सहित समस्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी फरियादियों को उनकी समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र समाधान हेतु आश्वस्त किया। उन्होंने मौके पर ही राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर प्राप्त शिकायतों के निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए।

उन्होने कहा कि समाधान दिवस का उद्देश्य जनसामान्य की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनकर पारदर्शी, त्वरित एवं न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करना है।

थाना कुलपहाड़ में क्षेत्राधाकारी कुलपहाड़, श्री रविकांत गोंड द्वारा प्र0नि0 कुलपहाड़ श्री राधेश्याम वर्मा एवं अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जनसमस्याओं की सुनवाई की गयी एवं सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार थाना कोतवाली नगर महोबा में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा प्र0नि0 कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में थाना समाधान दिवस में जनसुनवाई की गयी।

जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच कर, शिकायतों के निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संयुक्त टीमों द्वारा मौके पर जाकर त्वरित कार्यवाही की गई।

थाना समाधान दिवस के अंतर्गत जनपद में कुल 51 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 43 शिकायतें राजस्व से सम्बन्धित व 08 शिकायत पुलिस से सम्बन्धित पायी गयी, इनमें से कुल 04 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है, शेष शिकायतों के समाधान/निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में *महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा* सम्मान हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक- 13.09.2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसी क्रम में जनपद के अन्य थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया और शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पम्पलेट वितरित कर हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार-प्रसार किया गया। जिसमें क्रमशः

थाना कोतवाली नगर महोबा – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना कबरई – कस्बा कबरई में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में
थाना खन्ना- विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना चरखारी – कस्बा चरखारी में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में
थाना खरेला – कस्बा खरेला के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना श्रीनगर – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना पनवाड़ी – थाना पनवाड़ी के कस्बा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में
थाना महोबकंठ – कस्बा महोबकंठ के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में

इस दौरान महिलाओं बालिकाओं से वार्ता कर परस्पर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें उनके अधिकारों से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों, *गुड टच-बैड टच*, *साइबर अपराध* से बचाव एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:-

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, 1076 – मा० मुख्यमंत्री हेल्प लाइन
1090 – विमेन पावर हेल्पलाइन, 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन 102 – स्वास्थ्य सेवा,
108 – एम्बुलेंस सेवा 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन, 181 – महिला हेल्पलाइन

इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं एवं विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और हर परिस्थिति में उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है।

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने
01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 13.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 नरोत्तम सिंह मय हमराह का0 सूर्यांश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक नफर वारण्टी अभियुक्त सूरजबली पुत्र नन्द किशोर निषाद उम्र करीब 40 वर्ष नि0 ग्राम खम्हरिया थाना खन्ना जनपद महोबा सम्बन्धित मु0न0 107/XI/2018 धारा 125(3) सीआरपीसी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय बांदा (उ0प्र0) द्वारा निर्गत वारण्ट के क्रम में वारण्टी अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम खम्हरिया से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद कार्यवाही वारण्टी उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

सूरजबली पुत्र नन्द किशोर निषाद उम्र करीब 40 वर्ष नि0 ग्राम खम्हरिया थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 नरोत्तम सिंह
2. का0 सूर्यांश सिंह

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला की पुलिस टीम ने
01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 13.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्रीमती सुषमा चौधरी द्वारा गठित टीम व0उ0नि0 श्री शिवदान सिंह मय हमराह कर्मचारी के द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त राहुल तिवारी पुत्र रामकुमार तिवारी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कुआं थाना खरेला जनपद महोबा जिसको सम्बन्धित केश नं 533/24 धारा- 147/148/452/354(ख)/354/504/506/323 आईपीसी थाना खरेला जनपद महोबा श्रीमान सिविज जज जू0डि0 मजिस्ट्रेट चरखारी द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में कस्बा खरेला बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तारी कारण से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 शिवदान सिंह
2. का0 शिवबाबू

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

राहुल तिवारी पुत्र रामकुमार तिवारी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कुआं थाना खरेला जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 13.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर महोबा पुलिस की सख्त कार्रवाई –

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने ड्रोन उड़ने की भ्रामक खबर फैलाने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल...।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में अफवाह फैलाने एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयासों पर रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है।

दिनांक 12.09.2025 को पीआरवी 1256 कमाण्डर उ0नि0 रामकरन पटेल को ड्रोन उड़ने की झूठी सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान हीरालाल अनुरागी (निवासी मऊपुरा, थाना कुलपहाड़) एवं अजय श्रीवास (निवासी बेलाताल, थाना कुलपहाड़) के रूप में हुई। दोनों ने क्रमशः इवेंट संख्या 21046 एवं 25752 पर भ्रामक सूचना दी थी।

पीआरवी टीम द्वारा सक्रियता से मौके पर पहुंचकर जब जांच की गई तो सूचना असत्य पाई गई। उक्त दोनों व्यक्तियों के द्वारा दी गई झूठी जानकारी से क्षेत्र का माहौल खराब हुआ साथ ही जनमानस में दहशत फैलने एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका उत्पन्न हुई।

आज दिनांक 13.09.2025 को थाना कुलपहाड़ पुलिस द्वारा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द बनाए रखने हेतु पुलिस ने दोनों को कारण बताकर विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर 10 दिवस की रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. हीरालाल अनुरागी पुत्र हल्काई अनुरागी, उम्र 36 वर्ष, निवासी मऊपुरा थाना कुलपहाड़।
2. अजय श्रीवास पुत्र कालीचरन श्रीवास, उम्र 25 वर्ष, निवासी बेलाताल थाना कुलपहाड़।

अपील-

महोबा पुलिस की आमजन से अपील है कि कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने अथवा झूठी जानकारी देने का प्रयास न करें। ऐसी हरकतें न केवल शांति व्यवस्था को प्रभावित करती हैं बल्कि कठोर कानूनी कार्रवाई का कारण भी बनती हैं। महोबा पुलिस अफवाह फैलाने वालों पर शून्य सहिष्णुता की नीति के तहत आगे भी सख्त कार्रवाई करती रहेगी।